संख्या--[illegible]807/1-10-2007-12(34)/08

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग--10 लखनऊः दिनांक: 12 दिसम्बर, 2007

विषयः--वर्ष 2007--08 में सम्भावित शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में इस समय ठंड बहुत बढ़ गई है । अतः सम्भावित शीत लहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय व्यक्तियों के बचाव हेतु सार्वजनिक उपयुक्त स्थानो पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में अलाव जलाने की आवश्यकता है। अलाव की व्यवस्था हेतु श्री राज्यपाल प्रत्येक तहसील में रुपये--50,000.00 की दर से धनराशि जिलाधिकारी निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1. **अलाव की व्यवस्था :**
   (क) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय । इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय ।
   (ख) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र अलाव के जलाने के स्थल, दिन की संख्या, लकड़ी के क्रय की रसीद कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय ।
2. उक्त धनराशि आपदा राहत निधि से उपलब्ध धनराशि से व्यय किया जाय। यदि आपदा राहत निधि में धनराशि उपलब्ध नहीं हो तो TR-27 से आहरित कर धनराशि व्यय की जाय तथा प्रतिपूर्ति हेतु शासन को समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये ।
3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरुप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय--व्ययक की अनुदान संख्या--51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक--2245 के प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत आयोजनेत्तर-05--आपदा राहत निधि--800--अन्य व्यय--03--राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय--42--अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा ।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृति धनराशि सम्भावित शीत लहर के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के दायित्वों की पूर्ति के लिए है । इस धनराशि का उपयोग विगत वर्षो के दायित्वों तथा अन्य मदों पर व्यय की अनुमन्यता नहीं है।
5. कृपया आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका लेखा--जोखा वित्तीय नियमों के अनुसार रखा जाए तथा व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय, साथ ही आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय ।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव एवं राहत आयुक्त ।

A.G.O.-2007